

मांग संख्या 95
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	0.93	0.93	...	0.89	0.89	...	0.93	0.93	
पूंजी	
जोड़	...	0.93	0.93	...	0.89	0.89	...	0.93	0.93	
उप-राष्ट्रपति										
1. सचिवालय	2012	...	0.92	0.92	...	0.88	0.88	...	0.92	0.92
2. अन्य	2012	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
कुल जोड़		...	0.93	0.93	...	0.89	0.89	...	0.93	0.93

इसमें उप-राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के व्यय जिसमें उनके यात्रा खर्च, आकस्मिक व्यय तथा उप-राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं, के लिए प्रावधान किया गया है।

भारत के उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति की हैसियत से वेतन प्राप्त होता है।